माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या :–(0755) 2551650, 2761567
फैक्स :–(0755) 2551499, 2552061

क्रमाँक / गोपनीय / 253 / डी.एड / 2011 भोपाल, दिनाँक 9 / 7 / 2011

प्रति,

1. **प्राचार्य**
   समस्त बुनियादी / जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थायें,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त अशासकीय मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त डी.एड. प्रशिक्षण संस्थायें
   मध्यप्रदेश।

विषयः–डिप्लोमा इन एज्यूकेशन द्वितीय वर्ष परीक्षा 2011 के छात्रों का आन्तरिक मूल्यांकन, अध्यापन परीक्षा एवं विज्ञान प्रायोगिक बाबत्।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक गोपनीय / 212 / डी.एड. / 2011, दिनांक 25 / 06 / 2011.

- -XX- -

मण्डल द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक गोपनीय / 212 / डी.एड. / 2011, दिनांक 25 / 06 / 2011 में निर्देशित किया गया था कि डी.एड. द्वितीय वर्ष की उक्त परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का विवरण, संस्थाओं द्वारा सीधे स्पीड पोस्ट के माध्यम से मण्डल कार्यालय के गोपनीय कक्ष में प्रेषित किये जावेंगे। इसके पालन में संस्थाओं द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों के सैद्धांतिक परीक्षा के आन्तरिक मूल्यांकन के अंक, व्यावहारिक एवं बाह्य परीक्षा के आंतरिक एवं बाह्य अंकों के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करें :–

1. व्यावहारिक परीक्षा (अध्यापन / कार्यानुभव) का बाह्य मूल्यांकन संबंधित माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित किया जाने वाले पत्रक (फाईल एवं काउन्टर फाईल दोनों) पर आन्तरिक परीक्षक के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था हेतु नियुक्त किये गये बाह्य परीक्षक का नाम, पद, संस्था का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

2. सैद्धांतिक परीक्षा का आन्तरिक मूल्यांकन संबंधित माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित किया जाने वाले पत्रक (फाईल एवं काउन्टर फाईल) पर संबंधित संस्था के प्राचार्य का नाम, एवं पदमुद्रा सहित पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

3. व्यावहारिक परीक्षा (अध्यापन अभ्यास) का आन्तरिक मूल्यांकन संबंधित माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित किया जाने वाले पत्रक (फाईल एवं काउन्टर फाईल) पर उस संस्था के प्राचार्य के नाम, पद, संस्था का पूर्ण पता एवं पदमुद्रा सहित पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, जिसमें छात्राध्यापकों को अध्यापन अभ्यास हेतु भेजा गया है।

4. प्रायोगिक परीक्षा (विज्ञान) हेतु मण्डल को प्रेषित की जाने वाले ओ.एम.आर.शीट पर आंतरिक परीक्षक के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था हेतु नियुक्त किये गये बाह्य परीक्षक का नाम, पद, पदस्थ संस्था का पता एवं पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

निरंतर.....2

5. आपकी संस्था से सम्मिलित हो रहे सभी प्रशिक्षणार्थी का आंतरिक मूल्यांकन अध्यापन परीक्षा एवं विज्ञान प्रायोगिक इत्यादि के अंक आपकी ओर से एक साथ ही, निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना अनिवार्य है। यदि किसी छात्र के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, अथवा छात्र के अनुक्रमांक के सम्मुख मूल्यांकन/अंक अंकित नहीं है, अथवा रेखा खिची रहती हैं ..... या **X** चिन्ह अंकित है, तो उसे संबंधित भाग में अनुपस्थित मान्य कर परीक्षाफल तैयार किया जावेगा। परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत ऐसे छात्रों के पुनः भेजे गये अंक मान्य नहीं होगें। इसके लिये संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे।

6. प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिये चुंकि नवीन नियम लागू हो गये है, अतः उक्त परीक्षा के लिये निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे।

अध्यक्ष
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठांकन क्र./गोपनीय/ /डी.एड /2011 **भोपाल, दिनाँक / /2011**

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, राज्य शैक्षणिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् अरेरा हिल्स, भोपाल।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आंचलिक अधिकारी, आंचलिक कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर।
4. सी.एस.ओ./सिस्टम एनालिस्ट, डाटा कक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जन संपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
7. संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, समस्त संभागीय कार्यालय मध्यप्रदेश,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक सचिव, डी एड पत्राचार पाठयक्रम/परीक्षा समन्वय/परीक्षा संभाग माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. निज सहायक, अध्यक्ष/सचिव/उप सचिव/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल

अध्यक्ष
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश भोपाल